

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 87/16-12

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गोमनाथ बु. दास् वा अंचल निरीक्षक श्री गोमनाथ बु. दास् का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पुसुआ थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 84/9 दाग नं0 32 रकवा 01-00-03 किस्म पत्तरी बरीस श्री कुलदीप रविदास पिता केसु रविदास साकिन.....के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री कुलदीप रविदास को दिनांक 30/5/16 समय 11:00 AM पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

अंचल अधिकारी,
महागामा।

अभिलेख संख्या 87/16-12। कुलदीप रविदास पिता केसु रविदास के पुत्री सुनिधि देवी उपस्थित। / उन्होने उक्त भूमि से संबंधित दस्तावेज के रूप में कोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है। उन्होने क्लार्क की उक्त सुनिधि 8.11.16 द्वारा अधिग्रहण किया गया है। अभिलेख दिनांक 11/05/16 को रखें।

कुलदीप रविदास
पिता केसु रविदास

30/5/16

310910

sandha

24/12/20

अभिलेख उपस्थापित।
मोटिल निर्गत करें।

अं.म.स.
महागामा


10/12/20


अभिलेख उपस्थापित।

राज उपनिरीक्षक-साह-प्रभारी अंचल निरीक्षक
महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ
अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका आवलोकन
फिया प्रतिवेदानुसार अर्ध-संदेवास्पद पंजी- II रैंक
की भूमि सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त
भूमि ई०सी० स्थल ECL क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के
अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की
कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित


अंचल अधिकारी
महागामा


अंचल अधिकारी
महागामा

वा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।


विषय :- अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या ...87.../2016-17 ...कुलदीप...रविदास
पिता-...बोगु...रविदास..... का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या87.../2016-17 ...कुलदीप...रविदास... पिता-...बोगु...रविदास... का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना नं0-692 के गैरमजरुआ खाता सं0-24/.9... के अंदर दाग नं0-32 का अंश रकवा .01:-00:-03..... धूर किस्म- परती-कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल पदाधिकरी, गोड्डा के केश नं0-..... के माध्यम से ...कुलदीप...रविदास... पिता-...बोगु...रविदास..... को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन


10/12/22
PH
4